23/4/25 आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हेतु पेश की गई। वकीलान उपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली का गहन अध्ययन किया गया। वादी का वाद-पत्र डिक्री किया जाता है। पत्रावली में विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद प्राप्ति दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

–: निर्णय :–

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हमारे समक्ष पेश हुई। फरीकेन के वकुलाय उपस्थित है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 15 तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 18 लगायत 24 ग्राम पहाडी तहसील बहरोड के रहने वाले है। प्रतिवादी संख्या 16 व 17,27 राजकिय प्रतिनिध है। आराजी खसरा नम्बर साबिक 233 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा जिसके बन्दोबस्त सम्वत 2042 में कायम किये गये हाल खसरा नम्बर कमशः 1206 रकबा 0.26 हैक्टेयर, 1207 रकबा 0.13 हैक्टेयर, 1208 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 1209 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 1210 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 1211 रकबा 0.26 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 1.08 हैक्टेयर वाके ग्राम पहाड़ी तहसील बहरोड़ में स्थित है विवादित आराजी खसरा नम्बर साबिक 233 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम पहाड़ी तहसील बहरोड़ जिला अलवर सम्पूर्ण का वास्तविक खातेदार मंगतु पुत्र धोंकल जाति गुर्जर निवासी ग्राम पहाड़ी तहसील बहरोड़ जिला अलवर मन वादीगण का ससुर व दादा था जिसकी मृत्यु के

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

बाद प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 15 के पिता ने वास्तविकता को छुपाते हुये पटवारी हल्का से साजबाज होकर तथा पटवारी हल्का ने बिना कोई जांच किये प्रतिवादीगण के पिताओं से मेल जोल करके मंगतु की विरास्त इन्तकाल में केवल 3 पुत्रान कमशः उमराव, महादाराम, रामपाल उर्फ रामफल उर्फ रामफूल के नाम ही दर्ज करा ली जबकि मृतक मंगतु के चौथा पुत्र भौमाराम उस समय जीवित था जिसकी जानकारी प्रतिवादीगण के पिता को थी जबकि अन्य आराजी खसरा नम्बर हाल 917, 891, 1152, 1473, 1474, 1907, 1908, 2023, 2024, 2025, 2029 व 2030 वाके ग्राम पहाडी तहसील बहरोड की मिसल बन्दोबस्त व उसके बाद की बनी जमाबन्दी में वादीगण के पति व पिता भौमाराम का नाम बहैसियत खातेदार अंकित है केवल विवादित आराजी वाद पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित में वादीगण के पति व पिता का नाम अंकित नहीं हुआ है बाद बन्दोबस्त प्रतिवादीगण 1 लगायत 13 के पिता उमराव, महादाराम ने बन्दोबस्त के गलत इन्द्राजात का मिलान उठाकर अपना हक हकूक खातेदारी बिल ऐवज बजरिये रजिस्टर्ड बयनामा के हरनारायण, प्रभूदयाल व गरीबा को बेचान कर दिया जिसके बाद प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 का कोई हक हकूक खातेदारी विवादित आराजी वाद पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित में शेष नहीं रहा है लेकिन फिर भी प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 के नाम का जो राजस्व इन्द्राज चला आ रहा है जो वादीगण के हक हकूकों तक बातिल व बेअसर करार दिये जाकर उनका नाम राजस्व दस्तावेज जमाबन्दी व खसरा गिरदावरीयात से कलमजन किया जाना न्याय संगत है। चूंकि वादीगण का पति व पिता कम पढा लिखा था केवल नाम लिखना जानता था जिसे बन्दोबस्त सम्वत 2042 व मृतक मंगतु के विरासत इन्तकाल की जानकारी नहीं हुई और न ही प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 15 ने वादीगण के पति व पिता के कब्जा काश्त 1/4 हिस्सा में किसी प्रकार से मजाहमत की इसलिये उसे राजस्व दस्तावेज की नकल लेने की आवश्यकता भी नहीं हुई। वादीगण के पिता व पति की मृत्यु के बाद वादीगण विवादित आराजी के 1/4 हिस्सा को संयुक्त रूप से काबिज रहकर काश्त करते आ रहे हैं। दिनांक 25.06.2021 को पहली बार प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 15 ने वादीगण को विवादित आराजी के 1/4 हिस्सा को काश्त करने में मजाहमत करते हुये वादीगण का हक हकूक डिनाई किया तब वादीगण ने राजस्व अभिलेखालय से समस्त दस्तावेजात की नकले प्राप्त की और भूमिघारी तहसीलदार साहब बहरोड़ के समक्ष उपस्थित होकर निवेदन किया कि राजस्व इन्द्राज दुरूस्त कर देवें तो उन्होनें कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं दिया जिस पर वादीगण ने अपने अधिवक्ता से कानूनी सलाह ली तो उन्होनें नोटिस देने व दावा करने की सलाह दी तथा नोटिस विधिवत रूप से भिजवाया इन सभी कार्यवाही की प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 15 को जानकारी हो गई है जो गांव में ऐलानियां कहते है कि वे लाठी के बल पर वादीगण को विवादित आराजी के 1/4 हिस्सा से बेदखल कर देगें और राजस्व इन्द्राज के आधार पर दीगर लोगों को विवादित आराजी वाद पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित का बेचान कर देगें जिसके लिए प्रतिवादी संख्या 16 से मुन्तकिली दस्तावेज को निस्पादित व पंजीबद्ध कराने तथा प्रतिवादी संख्या 17 से राजस्व इन्द्राज परिवर्तित करने की भी बातचीत कर ली है लिहाजा दावा इस्तकरारहक दुरूस्ती राजस्व इन्द्राज किया जाना लाजिम आया जो न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और वादीगण इस

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

आशय की डिकी न्यायालय श्रीमान् से पाने की अधिकारी हैं कि बन्दोबस्त सम्वत 2042 की मिसल हकीयत व उसके आधार पर बनी समस्त जमाबन्दी व खसरा गिरदावरीयात से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को विवादित आराजी वाद पत्र के पद संख्या 1 वर्णित में 1/4 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व इन्द्राज दर्ज करवाया जावे तथा सभी हिस्से दुरूस्त करवाये जावे। लिहाजा दावा करना लाजिम आया जो न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश है। प्रतिवादीगण बहुसंख्यक व्यक्ति है तथा हर प्रकार से सबल है जिनकी राजनेताओं से उठा बैठ है जो लाठी के बल पर वादीगण को विवादित आराजी वाद पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित में से 1/4 हिस्सा से बेदखल करके गलत राजस्व इन्द्राज का नाजायज लाभ उठाकर विवादित आराजी से अपना हक हकूक, रहन, बय, हिबा या अन्य प्रकार से मुन्तकिल करने की जुस्तजू में है तथा राजस्व इन्द्राज परिवर्तित कराने की जुस्तजू में है इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 16 व 17 अपने निजी लाभ के लिए तथा राजनेता के दबाव व प्रभाव में विवादित आराजी का मुन्तकिली दस्तावेज निस्पादित व पंजीबद्ध करने तथा राजस्व इन्द्राज परिवर्तित करने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर हैं यदि प्रतिवादीगण अपने इस नापाक इरादे में कामयाब हो गये तो वादीगण के विवादित आराजी वाद पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित से जायज व कानूनी हक व हकूक जायल होकर अपूर्णीय क्षति होने की पूरी सम्भावना हो गई है लिहाजा दावा हुक्म इम्तनाई दवामी किया जाना लाजिम आया जो न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और वादीगण इस आशय की डिकी हुक्म इम्तनाई दवामी पाने के मुस्तहक है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 15 गलत राजस्व इन्द्राज के आधार पर लाठी के बल से वादीगण को विवादित आराजी वाद पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित में से 1/4 हिस्से से बेदखल न करें, न ही वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार से मजाहमत स्वयं या वारिसान, नौकरान, ऐजेन्टान द्वारा करावे, ना ही प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 15 गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर विवादित आराजी वाद पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित से अपना हक हकूक दीगर लोगों को रहन बय, हिबा या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल करे, ना ही दीगर व्यक्ति के हक में विवादित आराजी का मुन्तकिली दस्तावेज तहरीर व तकमील कराकर प्रतिवादी संख्या 16 के कार्यालय से निस्पादित व पंजीबद्ध करावे, ना ही प्रतिवादी संख्या 17 के कार्यालय से राजस्व इन्द्राज परिवर्तित करावे। इसी कदर प्रतिवादी संख्या 16 व 17 को पाबन्द किया जावे कि दौराने दावा विवादित आराजी वाद पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित सम्बन्धी मुन्तकिली दस्तावेज प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 15 द्वारा या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत करने पर उसे प्रतिवादी संख्या 16 निस्पादित व पंजीबद्ध ना करें और ना ही प्रतिवादी संख्या 17 राजस्व इन्द्राज में किसी प्रकार का परिवर्तन करें। वादी का वाद पत्र स्वीकार कर डिकी इस्तकरारहक दुरूस्ती राजस्व इन्द्राज बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 15 इस आशय की सादिर प्रदान करें कि मृतक मंगतु की मृत्यु के बाद उसका विरासत इन्तकाल के आधार पर बन्दोबस्त सम्वत 2042 में मिसल हकीयत के आधार पर बनी विवादित आराजी वाद पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित की समस्त जमाबन्दी व खसरा गिरदावरीयात से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 15 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को समभाग के रूप में 1/4 हिस्सा का खातेदार घोषित

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

कर राजस्व इन्द्राज दर्ज कराया जावे तथा सभी हिस्से दुरूस्त करावे जावें। वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत किया है कि वादीगण का वाद पत्र डिक्री इस्तकरारहक दुरूस्ती इनद्राज बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 15 इस आशय की सादीर प्रदान करे की मृतक मंगतू की मृत्यु के बाद उसका विरासत का इन्तकाल के आधार पर बन्दोबस्त संवत 2042 में मिसल हकीयत के आधार पर बनी विवादित आराजी बाद पत्र के पद सं0 02 में वर्णित की समस्त जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी से प्रतिवादीगण सं0 1 बलायत 15 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को सम्भाल के रूप में 1/4 भाग का खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व इन्द्राज दर्ज कराया जावे तथा सभी हिससे दुरूस्त करावे जावे तथा आराजी खसरा नम्बर हाल 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211 वाके ग्राम पहाडी तहसील बहरोड में स्थित है। जिसका वास्तविक खातेदार वादी व प्रतिवादी स0 01 लगायत 15 का बुजुर्ग मंगतु पुत्र श्री धोकल था तथा मंगतु के फोत होने पर प्रतिवादी सं0 01 लगायत 07 व 08 लगायत 15 के बुजुर्ग महादाराम व उमराव व प्रतिवादी सं0 14,15, का बुर्जुग रामपाल उर्फ रामफल उर्फ रामफुल ने वादीगण के बुर्जुग भोमाराम के 1/4 भाग को बाला–बाला अपने नाम करवा लिया जो महादाराम व उमराव व रामपाल उर्फ रामफुल रामफल का 1/4,1/4 भाग के स्थान पर 1/3,1/3 भाग करवाया लिया तथा महादाराम व उमराव ने इस गलत इन्द्राज की आड में दो बयनामा दिनांक 23.06.78 को हरनारायण ,प्रभूदयाल गरीब के हक में कुछ हिससे का करवा दिया तथा रामपाल उर्फ रामफुल व रामफल का हिस्सा 1/3 भाग गलत इन्द्राज चला आ रहा तथा रामपाल उर्फ रामफुल उर्फ रामफल की पुत्रीयों ने इस गलत इन्द्राज कीर आड में रिलीज डीड प्रतिवादी सं0 15 के हक में करदी जिससे रतीराम का 5/18 भाग प्रतिवादी सं0 14 रोहिताश का 1/18 भाग कुल 1/3 भाग दर्ज है। जबकि कुल भाग होना चाहिए था लेकिन राजस्व विभाग से मिलकर गलत इन्द्राज करवा लिया जो खिलाफ मौका खिलाफ कब्जा ,खिलाफ मृतक मंगतु के वारिसान है जो प्रतिवादी सं0 1 लगायत 13 के बुजुर्गानो ने जमीन का बेचान करने के पश्चात मौके पर कोई कब्जा नही रहा है जिस सूरत में प्रतिवादी सं0 1 लगायत 13 व इनके बुजुर्ग का नाम कलमजन किया जाकर व प्रतिवादी सं0 01 लगायत 13 व इनके बुजुर्ग का नाम कलमजन किया जाकर व प्रतिवादी सं. 14 का 1/18 भाग के स्थान पर 1/20 भाव व प्रतिवादी सं0 15 का 5/18 भाग के स्थान पर 5/20 भाग तथा वादीगण को 1/13 प्लस 7/91 प्लस 1/12 भाग कायानी कुल 26 ऐयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी प्रकार से राजस्व रिर्काड में अमल दरामद किया जावे तथा शेष रिकार्ड यथावत रखा जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 के द्वारा राजीनामा व प्रतिवादी संख्या 18 लगायत 24 द्वारा अपना जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि प्रस्तुत जवाब दावा को रिकोर्ड पर लिया जाकर अदालत हाजा द्वारा वाद पत्र की पत्रावली को आई मौखिक बहस व दस्तावेजी साक्ष्य एंव तथ्यों के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने के कृपा पूर्वक आदेश पारित करे।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत 2020 प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी खतौनी ग्राम पहाडी प्रदर्श–02, नकल जमाबन्दी संवत 2032 प्रदर्श–03, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत–2042 प्रदर्श–4, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 प्रदर्श–05, नकल जमाबन्दी संवत 20745 से 2078 प्रदर्श–06, नकल जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 प्रदर्श–07, नोटिस धारा 80 सी.पी.सी प्रदर्श–08, रसीद प्रदर्श–09, नकल नोटिस प्रदर्श–10, रसील डाक प्रदर्श–11, नकल बयनामा दिनांक 23.06.1978 प्रदर्श–12, नकल बयनामा दिनांक 23.06.1978 प्रदर्श–13,आदि व शपथ पत्र सांवतराम पुत्र भोमाराम जाति गुर्जर, सुरेश पुत्र माहादाराम जाति गुर्जर निवासी बासडा तन बानसूर, पूर्णमल पुत्र हरिसिंह जाति गुर्जर निवासी पहाड़ी आदि के शपथ पत्र पेश किये है।

हमारे द्वारा वकुलाय की बहस सुनी तथा पत्रावली का गहन अध्ययन किया गया तथा मनन किया गया। मुताबिक जमाबन्दी संवत 2020 प्रदर्श –01 विवादित आराजी खसरा नम्बर 233 रकबा 3 बिघा 18 बिस्वा ग्राम पहाडी मंगतू पुत्र धोकल जाति गुर्जर साकिन देह खातेदार दर्ज है। संवत 2042 में उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 1206 रकबा 0.26 हैक्टेयर, 1207 रकबा 0.13 हैक्टेयर, 1208 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 1209 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 1210 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 1211 रकबा 0.26 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 1.08 हैक्टेयर वाके ग्राम पहाड़ी तहसील बहरोड़ बनाये गये है। जिनके खातेदार मुताबिक जमाबन्दी संवत 2075–2078 प्रदर्श–6 प्रतिवादी नम्बर 01 लगात 15 को दर्ज किया गया है। जमाबन्दी संवत 2032 प्रदर्श–03 के अनुसार उक्त विवादित आराजी मादाराम ,उमराव ,रामपाल पि0 मंगतू सम्भाग कौम गुजर साकिन खातेदार दर्ज है। मंगतू राम के चार लडके महादा, उमराव, रामपाल, भोमाराम थे। मंगतू की अन्य आराजीयात में भौमाराम का नाम दर्ज कर दिया किन्तु विवादित आराजी का नाम भौमाराम का नाम दर्ज होने से रह गया, जो प्रदर्श–03 से स्पष्ट है। विवादित आराजी में महादाराम ने विवादित आराजी में अपना हिस्सा गरीबा हरलाल पहाडी को विक्रय कर दिया। जिसके वारिस प्रतिवादी नम्बर 22,23,24 है। विक्रय पत्र प्रदर्श–12 के अनुसार प्रतिवादी नम्बर 22, 23, 24 का 1/4 हिस्सा होना पाया जाता है। उमराव पुत्र मंगतू नें अपना 1/4 हिस्सा हरनारायण व प्रभुदयाल पि0 नाथाराम साकिन पहाडी को जरिये बयनामा प्रदर्श–13 के विक्रय कर दिया। तद्दानुसार प्रतिवादी नम्बर 18,19 का 1/8 भाग व 20,21 का 1/8 भाग होना पाया जाता है। मंगतूराम के पुत्र भौमाराम जिनके वारिस वादीगण है जिनका विवादित आराजी में 1/4 भाग होना पाया जाता है। मंगतूराम के पुत्र रामपाल का 1/4 हिस्सा था जिसमें रामपाल के छःवारिसान थे जिनका प्रत्येक का 1/24,1/24 हिस्सा था। मंगतू राम के 4 वारिसान ने अपना हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 15 को हकत्याक कर दिया। जिनका वर्तमान जमाबन्दी में 5/18 हिस्सा दर्ज है जो गलत है। हक अनुसार वादी नम्बर 14 का 1/24 भाग व वादी नम्बर 15 का 5/24 भाग होना पाया जाता है। महादा व उमराव पुत्र मंगतू के वारिसान 1 लगायत 13 अनुपस्थित रहे। उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 15 बादइतला उपस्थित नही हुये जिससे उनकी उक्त आराजी में कोई रूची नही होना प्रकट करता है। प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 13, के बुजुर्ग

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

द्वारा उनका हिस्सा प्रतिवादी संख्या 18 लगायत 24 को अपना हिस्सा जरिये बयनाम पंजीकृत बयनामा विक्रय कर दिया था। प्रतिवादी नम्बर 14, का हिस्सा 1/24 व प्रतिवादी नम्बर 15 का हिस्सा 5/24 होना पाया जाता है। उपरोक्त विवेचन से विवादित आराजी में वादीगण का 1/4 भाग , प्रतिवादी नम्बर 14 का 1/24 ,प्रतिवादी नम्बर 15 का 5/24, प्रतिवादी नम्बर 18 व 19 का 1/8 भाग सम्भाग, प्रतिवादी नम्बर 20,21 का 1/8 भाग व प्रतिवादी संख्या 22,23,24 का 1/4 भाग होना पाया जाता है। वादीगण का वाद पत्र पूर्णतया सिद्व पाया जाता है।

आदेश :–

वादीगण का यह वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री इस्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राजात बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 15 इस आश्सय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1206 रकबा 0.26 हैक्टेयर, 1207 रकबा 0.13 हैक्टेयर, 1208 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 1209 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 1210 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 1211 रकबा 0.26 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 1.08 हैक्टेयर वाके ग्राम पहाड़ी तहसील बहरोड़ के हाल इन्द्राजात को कलमजन कर वादीगण का 1/4 भाग, प्रतिवादी नम्बर 14 का 1/24 ,प्रतिवादी नम्बर 15 का 5/24, प्रतिवादी नम्बर 18 व 19 का 1/8 भाग सम्भाग, प्रतिवादी नम्बर 20,21 का 1/8 भाग व प्रतिवादी संख्या 22,23,24 का 1/4 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी कदर हाल राजस्व रिकोर्ड को संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो।

आज दिनांक 23/4/25 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा द्वारा जारी की गई।

(रामकिशोर मीना–II)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)